संख्या:286/2016/1127/35-4-2016

प्रेषक ,

अबरार अहमद,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष ,
लोक निर्माण विभाग,
उ0 प्र0 लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक:29जुलाई,2016

विषय: वर्ष 2016-17 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत पुनरीक्षित स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद प्रतापगढ़ में शासनादेश संख्या:30/2015/117/35-4-2015 दिनांक 30 जनवरी,2015 द्वारा **लालगोपालगंज मार्ग से जेठवारा मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण** के कार्य की लागत रू. 4329.04 लाख पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये प्रथम किश्त के रूप में रू. 1731.61 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी। तत्पश्चात शासनादेश संख्या: 295/2015/2298/35-4-2015 दिनांक 04 नवम्बर,2015 द्वारा उक्त कार्य की द्वितीय किश्त के रूप में रू. 1731.61 लाख की धनराशि अवमुक्त हुई। एतदद्वारा उक्त कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति को रू. 4613.56 लाख की लागत पर पुनरीक्षित किये जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- सन्दर्भित शासनादेश 30 जनवरी,2015 तथा दिनांक 04 नवम्बर,2015 की शर्ते यथावत लागू रहेंगी।

2- परियोजना में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-लम्बाई/चौड़ाई बढ़ाना एवं अन्य उच्च विशिष्टियॉ स्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्यों की लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर 03 माह के अन्दर शासन का पुन: अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।

3- प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जायेगा।

4- लेबर सेस के भुगतान की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

5- नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

6- जिलाधिकारी द्वारा यथा संशोधित/स्वीकृत आगणन के अनुसार कार्य हेतु अधिकृत कार्यदायी संस्था को कार्यकारी आदेश प्रदान किया जायेगा तथा कार्यकारी आदेश के साथ स्वीकृत आगणन की एक प्रति संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।

7- स्वीकृत धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-5-731/दस-2016 दिनांक:-27 जुलाई, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अबरार अहमद)
विशेष सचिव

संख्या:286/2016/1127(1)/35-4-2016 तददिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, इलाहाबाद।
3- प्रमुख सचिव, लोक निर्माण।
4- प्रमुख सचिव, वित्त।
5- निजी सचिव, मा. मुख्य मंत्री जी ।
6- मण्डलायुक्त, इलाहाबाद।
7- जिलाधिकारी, प्रतापगढ़।
8- मुख्य विकास अधिकारी, प्रतापगढ़।
9- वरिष्ठ कोषाधिकारी, प्रतापगढ़।
10- गार्ड फाईल।
11- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
12- राज्य योजना आयोग-1
13- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, प्रतापगढ़।

आज्ञा से ,

(अबरार अहमद)
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in